



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfbarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 1096 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, अक्टूबर 04 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एन0एच0 94 खरादी नगाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की ई0डी0एस0 क्वैरी 8बी./यू.सी.पी./06/86/2018/एफ.सी./1209 दिनांक 11.09.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर लगाई गई ई0डी0एस0 क्वैरी का अवलोकन करने कृपा करें। विषयगत मोटर मार्ग पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक-709/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 28.09.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसकी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है-

आपत्ति	आपत्ति निराकरण सूचना
1- Area naap land mentioned in component wise breakup is incorrect.	नाप भूमि का उल्लेख सही कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में कर दिया गया है।
2- Digital map of proposed road is not authenticated by DFO	प्रस्तावित मोटर मार्ग से सम्बन्धित Digital map प्रतिहस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है।
3- The following documents are required to be submitted in original- (i) Justification for locating the project in forest land. (ii) Hard copy of Part II to V (iii) Administrative approval	(i) Justification for locating से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है। (ii) पार्ट 2 जो प्रभाग से सम्बन्धित है की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। शेष पार्ट 3 जो आपसे सम्बन्धित है, पार्ट 4 जो नोडल स्तर से सम्बन्धित है तथा पार्ट 5 जो शासन स्तर से प्रेषित किया जाना है। (iii) Administrative approval से सम्बन्धित सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है।
4- RF & Civil soyal land mentioned in Part II but Van panchayat land is not smentioned in land schedule.	वन पंचायत भूमि का उल्लेख पार्ट 2 में यथा स्थान कर दिया गया है।

12-1 land transfer..

5- NPV density is mentioned as 0.4 in hard copy where as shown 0.2 in online Part II	प्रभाग की वर्तमान प्रबन्ध योजना के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.6 है परन्तु जिस समरेखण से मोटर मार्ग प्रस्तावित है उसका हरियाली घनत्व 0.2 पाया गया है जिसके अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि आकलित की गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र आनलाईन पार्ट 2 के पैरा ए में अपलोड कर दिया गया है।
6- Administrative approval is not found uploaded.	Administrative approval से सम्बन्धित सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है।
7- All documents are submitted in color photo copies.	सभी documents की color photocopies प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दी गई है।
8- CA area proposed is found to the partly in riverbed as per KML file.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को उपयुक्त पाया गया है जिसे पार्ट 2 में के0एम0एल0 फाईल के रूप में अपलोड किया गया है।
9- SIR is not found uploaded at correct place.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 2 में यथा स्थान अपलोड की गई है।
10- Short narrative of the project is not clear in online Part I	Short narrative से सम्बन्धित सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 के पैरा ए के (iii) में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

(जे0पी0 सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Ex. Eng. P.M.G.S.Y. Irrigation Division Purola Uttarkashi (Uttarakhand) for diversion under FCA-1980) of 1.346 ha of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of visit NH 94 Kharadi nagangaon km 9 to Bachangaon moter road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 17-01-2018

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1.346 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If,so the details there of :- No

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important mounment is located in the area, of, so the details thereof with NOC from competent authority, if required :- No

- a) The user agency has not violated the provision of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started in reserved forest without proper sanction. The work has been started in the nap land but at present no work is being done. No
- b) As such, recommendation is been provided.

Recomended for sanction

(Signature)


Place :- Barkot
Date :- 17-01-2018

Name (J.P. Singh)
Designation
Office Seal प्रभाग वनाधिकारी


N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to diverted.
Xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darterd 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involvion less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

जीयोरेफ़ेरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत एन0एच0-94 से खरादी-
नगाणगांव-के किमी0 9.00 से बचाणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
(लम्बाई 4.3 किमी0)



76°14'0"E 76°14'30"E 76°15'0"E 76°15'30"E



S.no.	Longitude	Latitude
1	78°14' 28.166" E	30°52' 46.046" N
2	78°14' 27.500" E	30°52' 51.257" N
3	78°14' 28.179" E	30°52' 56.392" N
4	78°14' 31.009" E	30°53' 1.112" N
5	78°14' 32.270" E	30°53' 6.413" N
6	78°14' 32.367" E	30°53' 10.842" N
7	78°14' 34.332" E	30°53' 15.543" N
8	78°14' 36.595" E	30°53' 20.297" N
9	78°14' 40.301" E	30°53' 23.999" N
10	78°14' 38.803" E	30°53' 28.782" N
11	78°14' 35.889" E	30°53' 33.486" N
12	78°14' 32.362" E	30°53' 37.796" N
13	78°14' 30.252" E	30°53' 42.928" N
14	78°14' 28.329" E	30°53' 48.138" N
15	78°14' 25.856" E	30°53' 53.127" N
16	78°14' 23.324" E	30°53' 58.079" N
17	78°14' 20.587" E	30°54' 2.937" N
18	78°14' 16.536" E	30°54' 8.065" N
19	78°14' 19.858" E	30°54' 5.293" N
20	78°14' 24.253" E	30°54' 1.914" N
21	78°14' 27.289" E	30°53' 57.709" N
22	78°14' 25.579" E	30°54' 2.998" N
23	78°14' 23.013" E	30°54' 7.938" N
24	78°14' 19.734" E	30°54' 12.362" N
25	78°14' 15.782" E	30°54' 16.310" N
Muck Disposal Point		
A	78°14' 27.219" E	30°52' 52.117" N
B	78°14' 33.325" E	30°53' 11.939" N
C	78°14' 38.627" E	30°53' 27.143" N
D	78°14' 19.639" E	30°54' 3.964" N

Legend

- Muck Disposal Point
- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

76°14'0"E 76°14'30"E 76°15'0"E 76°15'30"E


Assistant Engineer
M.C. ...
Public (Urban) ...

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नाम— परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
एन0एच0 94 खरादी नगंगाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से बचाणगांव
मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.346 हे0 वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव ।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या— 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक— 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है ।

1. ईको क्लास श्रेणी	V
2. हरियाली का घनत्व	0.2
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0	657000.00 रु0
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	1.346 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	8,84,322.00


प्रभागीय योजनाधिकारी
अपर सगुना वन प्रभान
बड़कोट (उत्तरकाशी)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना स्कीम का स्थान	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एन0एच0 94 खरादी नगाणगांव के कि0मी0 9से बचाणगाव मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 4.30 कि0मी0) 1.346 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	
(ii)	जिला	उत्तराखण्ड राज्य
(iii)	वन प्रभाग	उत्तरकाशी
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है0 में	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट। 1.346 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन मसालगांव 4वी- 0.822 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम खाण्ड एवं बचाणगांव-0.332 है0 वन पंचायत भूमि- 0.192 है0 कुल 1.346 है0
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ0आर0एल0-2मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 34 वृक्ष बाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी 0.50 कि0मी0 के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हों क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5657 लाख रु० का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु 4.20 लाख रु० प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेंसी-स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5657 लाख रु०। रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 4.20 लाख रु० का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5657 लाख रु०। रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 4.20 लाख रु० का प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 101 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल 150.6205 हे०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेत्तर भूमि पर..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	क- 270.255 है० ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर.....	क- 34.27 हे० ख - 190.35 हे०
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17-1-2018 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 17-01-2018

स्थान बडकोट

(जे०पी० सिंह)
प्रभागिय वनीयकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)